भारत में महिलाओं की स्थिति एवं मानवाधिकार : एक समीक्षा

डॉ0 सुनीता त्रिपाठी*

आधुनिक भारत के निर्माण का दावा करने से पूर्व यदि हम विकास एंव प्रगाति वाली पिछली एक शताब्दी का पुनरावलोकन करें और देखें कि मानवाधिकार एवं सामाजिक आर्थिक मुक्ति की दृष्टि से भारतीय महिलाए भीड़ में कहा खड़ी है ? तो , यह स्पष्ट हो जायेगा कि भारत में पितृसत्तात्मक मूल्य इतनी गहरी जड़े जमाए हुए हैं कि महिलाओं को हीनतर समझने एवं उनकी क्षमताओं को कम करके आंकने की परम्परा में अब भी कोई ठोस परिवर्तन नहीं हुआ है ।

ऐसा माना जाता है कि मनुष्य एक मात्र ऐसा जीव है जो सदैव विकासशील रहा है और यह चरितार्थ भी हुआ है । परन्तु सभ्यता के विकास के क्रम में मानव ने जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाए है वैसे वैसे सामाजिक व्यवस्था में पुरूषों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और महिलाओं को पर्याप्त योगदान के बावजूद पृष्ट भूमि में डाल दिया गया । महिलाएं नियमित रूप से उत्पीड़न झेलती रही है और व्यवस्था के कठोर होने के कारण इसके विरूद्ध आवाज उठाने में भी संकोच करती रही । वर्तमान समय में सामाजिक परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन होने के बाद जब महिलाएं शिक्षित एवं स्वालम्बी होने लगी हैं , तब महिलाओ के विरूद्ध शोषण एवं उत्पीड़न का दायरा और बढ़ गया है।

भारत में महिलाओं के विरूद्ध यह अत्याचार एंव मानवधिकार का हनन नवीन अथवा वर्तमान सामाजिक – आर्थिक व्यवस्था की कोई विलक्षण विशेषता नहीं है । विश्व के सभी युगों , सभी समाजों , सभी संस्कृतियों , सभी क्षेत्रों एवं सभी धार्मिक समुदायों द्वारा इनका शोषण होता रहा है – कहीं अपेक्षाकृत कम तो कहीं अधिक । किन्तु भारत में महिलाओं का शोषण विशेष रूप से चिन्तनीय है क्योंकि शांति , अंहिसा तथा नारियों का सम्मान इस देश की संस्कृति के प्रतीक रहे हैं । "पत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते , रमन्ते तत्र देवता " : के आदर्श को अपनाने वाले देश मे आज महिलाएं घरेलू एवं सार्वजनिक जीवन मे शारीरिक , मानसिक तथा भावनात्मक रूप से हिंसा एवं उत्पीड़न का सामना कर रही हैं । यहॉ लड़कियों को जन्म से ही " पराया धन " की संज्ञा दे दी जाती है तथा मादा भ्रूणों की हत्या अवांक्षित रूप से इसलिए कर दी जाती है कि लड़कियॉ समाज में बोझ समझीं जाती है । पुरूष स्त्रियों को सम्पत्ति के रूप मे देखते है तथा उनका उपभोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप करना चाहते हैं । भारत के प्रथम संविधान निर्माता माने जाने वाले मनु ने स्त्रियों की वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा है –

" पिता रक्षति कौमारे , भर्ता रक्षति यौवने ।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातंन्त्र्यमर्हति ।। "[1]

अर्थात् स्त्री किशोरवस्था मे पिता की निगरानी मे , युवावस्था मे पति की निगरानी मे और वृद्धवस्था में पुत्र की निगरानी मे जीवन यापन करती है इसलिए उन्हें स्वतंत्रता की आवयकता नहीं है । महिलाओ के लिए इससे ज्यादा दुःख की बात और क्या हो सकती

* विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी0 जी0 कॉलेज, महराजगंज

है कि मानवता ,शंति और अहिंसा के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि – "स्त्री होना ही दुःख है " और बौद्ध संघ मे जब तक स्त्रियों का प्रवेश नहीं होगा तभी तक उसका दीर्घकालिक अस्तित्व कायम रह सकता है । " मध्यकाल मे हिन्दी के प्रसिद्ध कवि संत तुलसी दास ने तो नारी की तुलना , पशु एवं गवॉर से की और लिखा–

"ढ़ोल , गवॉर ,सूद्र , पसु, नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी । "[2]

इस प्रकार प्राचीन काल से ही समाज के दुराग्रहों को झेलने वाली , खुद को असुरक्षित महसूस करने वाली , पूर्णतया दूसरों पर निर्भर रहने वाली और संदियों से परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी रहने वाली स्त्रियों के विषय में आज भी हमारा समाज निष्पक्ष नहीं हो पाया है । ऐसा नहीं है कि महिलाओं के मानवधिकारों का हनन एक निश्चित अवस्था के बाद शुरू होताा है । दुनिया मे अपनी ऑखे खोलने से पूर्व गर्भावस्था से लेकर मृत्यृ शैय्या पर आसीन होने तक उन्हें निरन्तर अत्याचार का ही सामना करना पड़ता है । इस दौरान उन्हें भ्रूण हत्या , शिशु हत्या , कुपोषण , बाल विवाह , उपचार उदासीनता , शिक्षा के असमान अवसर , दहेज , बलात्कार , यौन उत्पीड़न तथा घृणितम शारीरिक – मानसिक शोषण से जूझना पड़ता है ।

उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार भारत मे लगभग 1.20 करोड़ लड़कियों का प्रतिवर्ष जन्म होता है । इनमें से 15 लाख अपना जन्मदिन देखने के लिए जीवित नहीं रह पाती और 5 वर्ष के भीतर 35 लाख आकाल मृत्यृ का शिकार हो जाती है । 15वें वर्ष तक केवल 90 लाख जीवित रह पाती है । 1986 में एक सरकारी अध्ययन मे बताया गया कि लगभग 84 प्रतिशत डॉक्टर भ्रूण का लिंग परीक्षण कर उसकी हत्या का धंधा करते है तथा हत्या किए जाने वाले 1000 भ्रूणो मे 995 बालिका भ्रूण होते हैं ।[3] प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पो0 अमर्त्य सेन ने इसको भारत की दस करोड़ "गुमशुदा महिलाएं" बताते हुए कहा है कि वे विधवा या पत्नी के रूप में गुम नहीं होती बल्कि बेटी या बहन के रूप मे खोती हैं । वे उस भेद–भाव का शिकार होती हैं । जिनका सामना बालिकाओं को गर्भ से लेकर जन्म के समय और जन्म के बाद करना पड़ता है । इसी भेदभाव के चलते यह भी तय होता है कि उन्हें जिन्दा रहने का अधिकार भी है यह नहीं ? इस भेदभाव का ही परिणाम है कि भारत में बाल लिंगानुपात (CSR – Child Sex Ratio) में निरन्तर गिरावट आ रही है। भारत में CSR वर्ष 1961 में 976 पर था जो वर्ष 2001 में 927 और पुनः 2011 में 919 पर आ गया है।[4] गांधी स्मृति और दर्शन समिति (नई दिल्ली) की उप निदेशक डॉ0 सविता सिंह का कहना है कि " जिस देश मे औरतो पर हिंसा और भेदभाव की शुरूआत कोख से ही हो जाता वहॉ महिला सशक्तिकरण का कोई भी कार्यक्रम बालिका शिशु से शुरू करना ज्यादा युक्तिसंगत होगा न कि माता से।"[5]

विज्ञान मूल्य निरपेक्ष होता है, किन्तु टेक्नालजी और इसके उपयोग का निर्धारण इस बात से होता है कि हम जिस युग में जी रहे हैं , उसकी सोच किस तरह की है । विज्ञान ने मनुष्य को अनेक लाभ पहुँचाए हैं । एम्नियोसेंटासिस की तकनीक अजन्मे शिशु में शारीरिक गड़बड़ियों का पता लगाने और उनका उपचार करने में वरदान साबित हो सकती थी । किन्तु इसका उपयोग कन्या भ्रूण का पता लगाकर उसे गर्भ में ही समाप्त करने के लिए किया जा रहा हैं । जनसंख्या नियंत्रण की आड़ में स्वंय को सामाजिक दृष्टि से प्रगतिशील कहने वाले लोग अपने क्रूर स्वार्थों की सिद्धि कर रहें हैं ।

पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति को अपनाकर भारतवासी आधुनिकता का दम्भ अवश्य भरते हैं , किन्तु उनकी मानसिकता आज भी रूढ़ियों एवं निरर्थक परम्पराओं से ग्रस्त है । भारतीय समाज में आज भी वंश चलाने एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति अनिवार्य माना जाता है । सर्वाधिक शर्मनाक स्थिति तो यह है कि तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग भी स्वंय को इन जड़ताओं से मुक्त नहीं कर पाया है । 1991 में आपरेशन रिसर्च ग्रुप द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लोगों को बेटे इतने प्रिय हैं कि 7.2 प्रतिशत दम्पत्ति दूसरे बेटे के लिए अनगिनत बेटिया पैदा करने को तैयार हैं । 2.2 प्रतिशत दम्पत्ति दूसरे बेटे के लिए 5 बेटियॉ , 4.6 प्रतिशत जोडे 4 बेटियॉ 15.6 प्रतिशत जोड़े 3 तथा 22.5 प्रतिशत जोड़े दूसरे बेटे के लिए 2 बेटियॉ पैदा कर सकते है । केवल 13.9 प्रतिशत दम्पत्ति ऐसे थे जिनके लिए बेटे और बेटियों मे कोई फर्क नहीं था । [6] लिंगीय असमानता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि शिक्षा एवं आर्थिक स्वलम्बन के बावजूद दहेज की मांग तथा दहेज हत्या की घटनाएं दिनोदिन बढ़ती जा रही हैं । वर्ष 2007 मे 2276 विवाहिताओं ने दहेज के कारण आत्म हत्या की । इसी प्रकार वर्ष 2008 मे देश में 8172 दहेज हत्याओं के मामले दर्ज किय गए , जिसमें मात्र 35 प्रतिशत मामलों में ही सजा हो सकी । [7]

शिक्षा एवं जागरूकता ने महिलाओं की स्थिति मे कुछ आंशिक सुधार अवश्य किया है । किन्तु यह विकास बहुत छोटे वर्ग तक सीमित है । और इससे महिला उत्पीड़ एवं मानवाधिकारों के हनन में कोई कमी नहीं आती है । दुःख की बात यह है कि समृद्धि , ज्ञान , या धन – दौलत के बीच सांस्कृतिक सम्पर्क का कोई आधार नहीं होता इसलिए विकास की बड़ी बड़ी उम्मीदों के बावजूद भारतीय महिलाएॅ सामाजिक , आर्थिक उत्पीड़न एवं शोषण से मुक्त नहीं हो सकी हैं । वास्तविकता यह है कि यौन उत्पीड़न , नारी हिंसा , भ्रूण हत्या , बलात्कार , दहेज की मांग तथा मानसिक शारीरिक यातनाओं का सिलसिला इस शिक्षित आधुनिक समाज मे पहले से ज्यादा बढ़ गयी है। 1997 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर रोज बलात्कार के लगभग 35 तथा महिलाओं पर विभित्र तरह के यातनाओं के करीब 220 मामले पुलिस मे दर्ज होते थे ।[8] सम्प्रति यह आंकड़ा और बढ़ गया है । राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ो से पता चलता है कि देश मे प्रतिदिन 50 मामले बलात्कार के पंजीकृत होते है । यदि हम दिल्ली के ही आंकड़ें को लें तो पला चलता है कि वहॉ अगस्त 2013 तक (वर्ष 2013 में) दुष्कर्म के 1121 मामले सामने आए जो कि वर्ष 2012 के इस माह तक के आंकड़ों की तुलना मे दुगुने से भी ज्यादा है। [9]

केवल वर्ष 1991 मे ही बलात्कार और अपहरण की 25,000 घटनाएं दर्ज की गई थी । एक सरकारी दस्तावेज के अनुसार भारत में हर छठी स्त्री की मौत किसी न किसी प्रकार के भेदभाव के कारण होती हैं [10] भारत में बलात्कार , यौन उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ की घटनाएं प्रतिवर्ष बढ़ रही है–

वर्ष	बलात्कार	यौन उत्पीड़न	छेड़छाड़ [11]
1998	15151	9054	30959
1999	15468	8858	32311
2000	16496	11024	32940

वर्तमान समय में महिलाओं के विरूद्ध कुछ नये तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है जो महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा की दृष्टि से अत्यन्त चिन्तनीय है । इनमें महिलाओं पर तेजाबी हमला और वाट्स एप द्वारा ब्लैक मेलिंग विशेष रूप से उल्लेखनीय है । हमारे समाज मे महिलाओं का जीवन बर्बाद कर देनी वाली तेजाबी हमलों की घटनाओं मे तेज रफ्तार से इजाफा हो रहा है। न सिर्फ महानगरों बल्कि छोटे शहरों एवं कस्बों तक में आए दिन तेजाब से हमले को घटनएं सामने आ रही हैं । इस तरह की घटनाओं पर काम कर रहे "एसिड सवाइवर्स फाउंडेशन " द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में यह ताथ्य सामने आया कि भारत मे महिलाओं पर तेजाबी हमलों की 72 वारदातें अकेले वर्ष 2012 में सामने आई । [12] इसी प्रकार वाड्स एप पर महिलाओं के अश्लील चलचित्र बनाकर उनका शोषण करना एक सामान्य घटना बनाती जा रही है । राज्य एंव केन्द्र शासित प्रदेशों के ब्योरे के मुताबिक इस वित्त वर्ष के दौरान अभी तक उत्तर प्रदेश मे महिला अधिकार उल्लंघन के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए है । 6110 मामलों क साथ हरियाणा में 504 , राजस्थान में 447, और बिहार में 256 मामले दर्ज हुए है । पिछले तीन वित्त वर्षों में और वित्त वर्ष मे अभी तक इस वित्त वर्ष मे ऐसे मामलों की कुल संख्या 44328 हैं । [13]

लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में महिला एंव बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा महिला अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में घरेलू हिंसा , महिला की अस्मिताफा हनन करने दहेज प्रताड़ना , सम्पत्ति विवाद , बलात्कार आदि शमिल है । [14] इन घटनाओं की आधार मानकर यदि हम भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं मानवाधिकार की समीक्षा करें तो यह सहज ही स्पष्ट हो जायेगा कि आधुनिकता एवं विकास के साथ साथ ये घटनाएं भी बढ़ रही है। राट्रीय महिला आयोग मे 2012–2013 , 2013–2014 ,2014–2015 और 2015–2016 (30 जुलाई तक) के दौरान महिला अधिकार उल्लंघन के क्रमशः 16,584 ,22.422, 32.118 और 9786 मामलें दर्ज किए गए । सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष (2015) अप्रैल के बाद बलात्कार एवं घरेलू हिंसा समेत महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के 9700 मामले दर्ज किए गए । [15]

यह तो महज सरकारी आंकड़ें हैं , वास्तविकता और भी अधिक भयानक है । ऐसा नहीं है कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं मानवाधिकार की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया । महिला अधिकारों की रक्षा एवं उन्हें उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए भारत में समय – समय पर अनेक कानून बनाए गए। शिशु हत्या निषेध अधिनियम (1804), शारदा एक्ट (1929) , विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1966), दहेज निषेध अधिनियम (1986) , अश्लीलता निषेध (अधिनियम) , घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम (2005) आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (2013) , कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 इत्यादि ऐसे कानून है जो महिला मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं । भारत सरकार द्वारा समय समय पर महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाता रहा है । इस प्रकार की योजनाओं स्वालम्बन योजना (1989) , स्वशक्ति योजना (1989), इंदिरा महिला योजना (1995) , स्वास्थ्य सखी योजना (1997) बालिका समृद्धि योजना (1997) , डबाकुआ योजना (1997) ,महिला स्वशक्ति योजना (1998), स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना (2000) किशोरी शक्ति योजना (2000), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (2003), बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना (2005) , इंदिरा प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना (2006), चलो गांव की ओर काय्रक्रम

(2006), उज्ज्वला योजना (Dec 2007), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (2008), धनलक्ष्मी योजना (2008), जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रमुख है । [16]

भारत का संविधान भी मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से महिला अधिकारो की गारंटी देता है । संविधान का अनुच्छेद – 15 स्पष्ट रूप से जाति, धर्म लिड़ एवं जन्म स्थान के आधार पर भेद भाव किए जाने का निषेध करता है। अनुच्छेद 15 का भाग (3) महिलाओं क के हित में विशेष उपबन्धों का प्रावधान करता है तथा अनुच्छेद–16 लोक सेवाओं मे समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।[17] इसी प्रकार अनुच्छेद 42 स्त्री कर्मिकों की क्षमानुसार कार्य की दशाओं को तय करने एवं प्रसूति सहायता तथा अनुच्छेद 47 महिलाओं के पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य मे सुधार हेतु उपबन्ध करता है । [18]

महिला मानवाधिकार की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी समय – समय पर कई महत्वपूर्ण फैसले दिए गए हैं । अभी हाल ही सर्वोच्च न्यायाल ने Centre for Enquiry Heath and Allied Thesanes द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मादा भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे ऐसे गैर पंजीकृत क्लिनिकों व जॉच प्रयोगशालाओं के खिलाफ सख्ती के साथ कार्यवाही करें जो गर्भवती महिलाओं की अल्ट्रासाउण्ड तकनीक से जॉच करके गर्भ मे पल रहे भ्रूण के लिंग का पता करते है । [19]

इसी प्रकार 20 जनवरी 1999 को एक महत्वपूर्ण फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ छेड़खानी उनके मौलिक अधिकारों का हनन माना जायेगा । अगर कोई पुरूष महिलाओं के साथ छेडखानी की कोशिश भी करता है तो वह दण्ड का अधिकारी है । 20 अगस्त 1997 में कामकाजी महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देश महिला मानवाधिकार की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया।

सर्वोच्चय न्यायालय के दिशा – निर्देश [21]

सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खण्डपीठ जिसमें न्यायाधीश जे. एस. वर्मा. न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर और बी .एन. कृपाल सम्मिलित थे , ने 12 अगस्त 1997 को विशाखा और अन्य बनाम रास्थान सरकार बाद में निर्णय देते हुए यौन उत्पीड़न के मामले में निम्नलिखित दिशा – निर्देश दिए हैं –

- संस्था एवं कार्यस्थल के नियोक्ताओं एवं जिम्मेदार अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यौन उत्पीड़न के मामले मे इसके निदान , निश्पादन एवं दंड प्रावधान के लिए आवष्यक उपाय करें।
- यौन उत्पीड़न मे ऐसे सभी अवांछित एवं अशोभनीय शब्द , संकेत एवं व्यवहार आता है जो यौन भावनाओं से सम्बन्धित हैं जैसे–यौन सूचक शब्द या टिप्पणी, उद्देश्यपूर्ण शारीरिक संकेत तथा सम्पर्क , यौन कार्य की मॉग या अनुरोध , अश्लील साहित्य दिखाना आदि।
- सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए परस्पर व्यवहार एवं अनुशासन से सम्बन्धित प्रावधानों में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित प्रावधानों का समावेश किया जाना चाहिए निजी क्षेत्र के नियोक्तओं का औद्यौगिक रोजगार (चूाले ओदश) अधिनियम , 1946 के तहत इससे सम्बन्धित

प्रावधानों को सम्मिलित किया जाना चाहिए इन नियमों को उचित प्रकार से वितरित सूचित एवं प्रकाशित जाना चाहिए।

- प्रत्येक संस्था में नियोक्ता को यौन उत्पीड़ की शिकायत सुनने एवं उसके निस्तारण के लिए समुचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए एक शिकायत समिति अध्यक्ष कोई महिला हो का गठन भी किया जा सकता हे इस समिति मे कम से कम आधी महिाला सदस्य होनी चाहिए।
- यौन उत्पीड़न के मामले में नियमनुसार भारतीय दण्ड विधान या अन्य किसी कानून के तहत दण्ड सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ऐसे मामलों मे उत्पीड़न महिला के स्वयं का या उत्पीड़क का स्थानान्तरण कराने का अधिकार मिलना चाहिए।
- कर्मचारियों मे विशेष रूप से महिला कर्मचारियों मे जागरूकता एंव ऐसे मुदे उठाने की निर्भयता उत्पन्न करनी चाहिए।
- यदि यौन उत्पीड़न कार्यालय से बाहर के व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो नियोक्ता को उस महिला को समुचित मार्ग निर्देशन एवं सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- केन्द्र एवं राज्य सरकारों को इस आदेश द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं कानून के निजी उद्योगों में भी प्रभावी कराने के लिए प्रयास करने चाहिए।
- यह दिशा – निर्देश मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लेख नहीं करेंगे।
- यह दिशा–निर्देश कठोरता से लागू किए जाने चाहिए तथा यह तब तक बाध्यकारी होंगे तथा लागू माने जाएगें जब तक इस दिशा में उपयुक्त कानून नहीं बनाए जाते।

नारी उत्थान को विशेष महत्व देते हुए भारत में वर्ष 2001को महिला सशाक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया । जहॉ वर्ष 2013 को महिला सुरक्षा वर्ष घोषित किया गया वहीं बलात्कार के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को शुरूआत की गयी ।[22]

किन्तु यह विडम्बना ही कही जायेगी कि जैसे – जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बर रहे हैं प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं वैसे – वैसे महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों का ग्राफ निरन्तर ऊपर चढ़ता जा रहा है । सार्वजनिक जीवन के राजर्मांग पर दिखाने के लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार भले ही दे दिया जाता हो किन्तु स्त्री पुरूष असामनता एवं महिला मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ 21 वीं शताब्दी के विकसित दौर में यह परिवर्तन अत्यन्त तुच्छ है ।

दरहसल महिला शोषण रोकने तथा उन्हें सामाजिक , आर्थिक मुक्ति दिलाने के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है । बल्कि सामाजिक माहौल बदलने की जरूरत है। कानून मनुष्य की वाह्य क्रियाओं पर बलात निंयत्रण लगा सकते हैं। वह भी उस स्थिति में जब अपराधी कमजोर हो । किन्तु अधिकांश मामले मे अपराधी इतना शक्तिशाली होता है कि कानून उसके पक्ष में हो जाता है । जहॉ 1993 की राजस्थान की भवॅरी देवी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार का उल्लेख किया जा सकता है । इसमें जयपुर की निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव मे दोषियों को छोड़ दिया । भवरी देवी ने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया , अन्ततः उसकी याचिका मंजूर हुई

किन्तु अदालत का फैसला होश उड़ाने वाला था । अदालत ने कहा जिनपर बलात्कार का आरोप लगाया गया है वे सभी अभिजात्य वर्ग के उच्च जाति के लोग है लिहाजा वे ऐसा कृत्य नहीं कर सकते । उनके उम्र भी ज्यादा है और भंवरी देवी अछूत है [23] बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया । किन्तु इस प्रकार की घटनाएं महिलाओं के प्रति हमारी संवेदनहीनता को व्यक्त करती हैं ।

वास्तव में बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न की घटनाओ का समाधान केवल कानून द्वारा सम्भव नहीं है बल्कि इसके लिए व्यक्ति का नैतिक उत्थान जरूरी है । यह एक मानसिक बिमारी है । जिसका समाधान भी मानसिक होना चाहिए । कानून केवल सहायक भूमिका निभा सकते है । कठोर कानूनों की अपनी एक सीमा है । उन्हें और कारगर बनाने के साथ ही हर स्तर पर ऐसी पहल की ज्यादा जरूरत हैजिससे महिलओं के प्रति पुरूष प्रधान भारतीय समाज की मानसिकता बदले । मानसिक बदलाव की यह मुहिम सफल तभी होगी जब हर घर – परिवार इसकी आवश्यकता समझेगा । [24] हमें पश्चिम की भौतिकवादी उपभोक्तवादी मानसिकता का परित्याग करना होगा । और समाज मे नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों की पुनर्प्रतिष्ठा करनी होगी । पुरूष वर्ग को पुरूषवादी सोच से ऊपर उठकर इन अपराधों का विरोध करना होगा , उन्हें यह बात समझनी होगी कि औरत केवल मानसिक एवं शारीरिक सन्तुष्टि का जरिया नहीं है।

महिलाओं की स्थिति को सुधारने एंव अधिकारों की प्राप्ति के लिए सबसे अधिक प्रयत्न महिलाओं को ही करना होगा। पुरूषों की मानसिकता बदलने से पूर्व महिलाओं को आत्म मंथन करके देखना होगा कि महिला मावाधिकार के प्रति वे स्वंय कितनी संवेदनशील है ? बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न में नहीं , किन्तु कन्या भ्रूण हत्या व दहेज की मांग तथा दहेज हत्या के 45% मामले में महिलाएं भी मूक सहमति प्रदान करती हैं। यदि केवल शिक्षित महिलाएं ही अपनी दास मनोवृत्ति का परित्याग कर अपने अधिकारों के लिए दूसरों का मुंह देखने की बजाय स्वंय प्रयत्न करें, दृढ़ संकल्प होकर परिस्थितियों का सामना करें , वंश वृद्धि के लए पुत्र प्राप्ति की कामना से बाहर निकाल सकें , कन्या भ्रूण की हत्या का दृढ़ता से विरोध करें , दहेज देकर उच्चपद प्राप्त या धनवान पुरूष से विवाह करने की बजाय स्वंय स्वालम्बी बनने का प्रयास करें और लिड़ीय असमानता की मानसिकता से पूरी तरह ऊपर उठ सकें तो महिलाओं की अधिकांश समस्याएं स्वतः समाप्त हो जायेगी और मानवाधिकार की प्राप्ति में यह एक सार्थक प्रयास होगा ।

21वीं सदी मे महिला मानवाधिकार की चुनौती को पूरा करने के लिए हमारा मुख्य लक्ष्य स्त्री – पुरूष समानता और उनके बीच न्याय का होना चाहिए । हमें महज लिंग सम्बन्धी समानता पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । महात्मा गॉधी ने कहा है कि – "स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता । मेरी राय मे उनपर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए जो पुरूषों पर न लगाया गया हो । पुत्राों और कन्याओं में किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए । उनके साथ पूरी समानता का व्यवहार होना चाहिए । [25]

गॉधी का यह आदर्श ही हमारा वास्तविक लक्ष्य है ,जिसे महिला मानवाधिकार की पृष्ठ भूमि मे हमें प्राप्त करना है ।

वास्तव में स्त्री और पुरूष दो अलग – अलग इकाइयों के रूप में न तो हैं और न रह सकते हैं । वे उत्पीड़क और उत्पीड़ित के रूप में भी नहीं रह सकते , वे एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी हैं जिनमें कोई टकराव नहीं है । जैसा कि डॉ राधाकृष्णन ने लिखा है – " नारी नर की सहचरी , उसके धर्म की रक्षक , उसकी गृह लक्ष्मी तथा उसे देवत्व तक पहुँचाने वाली साधिका है । " महिला मानवाधिकार के लिए किया जाने वाला संघर्ष स्त्री पुरूष के बीच का संघर्ष नहीं है और न ही यह मानव – मानव के बीच संघर्ष है । यह अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष है , मानवता एवं अमानवता के बीच का संघर्ष है, जिसकी सफलता के लिए स्त्री – पुरूष दोनों की भागीदारी अनिवार्य है ।

सन्दर्भ :–

1– मनुस्मृति : अध्याय 9, श्लोक संख्या – 3 ।
2– तुलसीदास : रामचरित मानस , सुन्दरकाण्ड , पृ 3581
3– मनोरमा इयर बुक 1993 , पृ 390
4– परीक्षा मंथन : सामान्य ज्ञान का वार्षिक सर्वेक्षण – 2015–16 पृ.27
5– डॉ0 सविता सिंह : गांधी एवं महिला सशक्तिकरण (लेख) रोजगार समाचार (28 Sep to 4 Oct 2002 पृ 4)
6– मनोरमा इयर बुक : 1993 , पृ 393 ।
7– परीक्षा मन्थन : सामान्य ज्ञान का वार्षिक सर्वेक्षण – 2011–12. पृ.33 ।
8– प्रतियोगिता दर्पण : मई 1997 , पृ. 1783 ।
9– परीक्षा मन्थन : सामान्य ज्ञान का वार्षिक सर्वेक्षण , पृ. 23 ।
10– मनोरमा इयर बुक : 1993 , पृ.389 तथा 393 ।
11– दैनिक समाचार पत्र : राष्ट्रीय सहारा , 14 दिसम्बर 2002 पृ. 1।
12– परीक्षा मन्थन : सामान्य ज्ञान का वार्षिक सर्वेक्षण , पृ.14 ।
13– दैनिक जागरण : अगस्त 2012 , पृ.19 ।
14– लोक सभा मे दिया गया केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी का वक्तव्य – 31 July 2015 ।
15– हिन्दुस्तान : 1 Agust 2015, पृ. – 15 ।
16– परीक्षा मन्थन : सामान्य ज्ञान का वार्षिक सर्वेक्षण – 2011–12, पृ.76–78
17– भारतीय संविधान : भाग III (मौलिक अधिकार) अनु. 15,16 ।
18– भारतीय संविधान भाग IV (नीति निर्देशक तत्व) अनु. 42,47 ।
19– क्रानिकल : अप्रैल 2002, पृ. 16 ।
20– क्रानिकल : जनवरी 2000 पृ. 391
21– प्रतियोगिता दर्पण , नवम्बर 1997, पृ. 690 ।
22– परीक्षा मंथन : वार्षिकांक 2014 , भाग 11 पृ. 25 ।
23– दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा , 14 दिसम्बर 2002 , पृ. 4 ।
24– दैनिक जागरण : 1 Agust 1915 , पृ . 19 ।
25– महात्मा गांधी यंग इण्डिया, 17 Oct 1929 ।
